

क्रमांक 12/46/92-2 जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
2. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवम् गुड़गावां मण्डल,
3. सभी उपायुक्त एवं सभी उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा,
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 11 सितम्बर, 1997 ।

विषय:-- लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों को भरना

प्रहोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 12/46/92-2 जी0 एस0-I दिनांक 16-11-93 के पैरा 2 की ओर दिलाऊँ जिसके अनुसार सरकार ने कार्यालयों में कार्यकुशलता को बनाए रखने तथा लिपिकों

को प्रोत्साहन देने के लिए यह निर्णय लिया था कि उन लिफ्टों, जो दूसरी भाषा का भी टाईप टेस्ट निर्धारित गति से पास करने को एक अतिरिक्त बेतन वृद्धि प्रदान कर दी जाए तथा यह हिशारों तुरन्त प्रभाव से लागू होंगी। उपरोक्त हिशारों के तहत वे लिफ्ट जो कि 24-5-90 से 26-11-93 की अवधि के दौरान सेवा में भर्ती हुए थे तथा जिन्होंने इस अवधि में दूसरी भाषा में निर्धारित गति से टाईप टेस्ट भी पास कर लिया था इस अतिरिक्त बेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रह गए थे।

2. अब सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार करते हुए यह निर्णय लिया है जो लिफ्ट दिनांक 24-5-90 से 26-11-93 के बीच सेवा में आये तथा जिन्होंने इस दौरान दूसरी भाषा में निर्धारित गति से टाईप टेस्ट भी पास कर लिया था, का भी एक अतिरिक्त बेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए।

3. वित्त विभाग का उनके अशा क्रमांक 3/7/90-I एफ 0 जी 0-I/4322 दिनांक 4-9-97 द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

भवदीय,

हस्ता 0/-

अवर सचिव प्रशासन-I

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी वित्त पुस्तों/प्राप्तियों एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता 0/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी वित्त पुस्त/प्राप्तियों एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा 0 क्रमांक 12/46/92-2 जी 0 एस 0-I दिनांक 11 सितम्बर, 1997

एक-एक प्रति मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/वित्त विभाग के अधिकारी, मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिव के सचिवों/निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों तथा मुख्य संसदीय सचिव को सूचना हेतु भेजी जाती है।

हस्ता 0/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/

विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/

मुख्य संसदीय सचिव के सचिवों/निजी सचिवों।

अशा 0 क्रमांक 12/46/92-2 जी 0 एस 0 I दिनांक 11 सितम्बर, 1997

एक प्रति वित्त पुस्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा 0 क्रमांक 3/7/90 एफ 0 जी 0 I-4322, दिनांक 4-9-97 के संदर्भ में सूचना हेतु प्रेषित है।

हस्ता 0/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

वित्त पुस्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

वित्त विभाग।

अशा 0 क्रमांक 12/46/92-2 जी 0 एस 0-I

दिनांक 11 सितम्बर, 1997